अध्यक्ष महोदय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 7 MAR 2001

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

...मु० (एल० ए०) 170--सीमो— 500- -20-2-2001—.

टर्न-5/मधुप/27.3.2001

तारांकित प्रश्न संख्या- 1380

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर दीजिये । माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अभी हाउस में नहीं हैं लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका आप जवाब दीजिये, मंत्री जी ।

श्री राम प्रकाश महतो (राज्यमंत्री) : महोदय, 1- श्री अलीम जंग खाँ, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने पत्रांक 76 दिनांक 21 सितम्बर, 2000 द्वारा श्री कुमार गौरी शंकर सिन्हा, विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के विरूद्ध फर्जी प्रस्वीकृति, फर्जी नियुक्ति तथा सरकारी कोष के दुरूपयोग संबंधी गम्भीर आरोप की जाँच करने एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आरोप लगाया है ।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 68 दिनांक 13.1.2001 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण माँगा गया किन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर पुन: विभाग ने दिनांक 15 मार्च 2001 तक का स्पष्टीकरण के लिये समय दिया था । फिलवक्त श्री सिन्हा ने अपने पत्रांक 994 दिनांक-15.3.2001 द्वारा बिहार विधान मंडल का सत्र आरम्भ रहने एवं मार्च महीना के व्यवस्तता के कारण दिनांक 31 मार्च, 2001 तक स्पष्टीकरण देने हेतु समय की माँग की है, सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । अत: कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री राजाराम सिंह : महोदय, इसमें मेरा एक पूरक प्रश्न है । मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिये निदेशक ने लिखा था और एक बार समय दिया गया, उसमें स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया, दोबारा भी नहीं दिया सदन की कार्रवाई का पहाना बनाकर । महोदय, स्पष्ट है कि वे आरोपित हैं, इसलिए उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है या नहीं ?

टर्न: 6: अंजनी: दि0 27·3·2001

अध्यक्ष: 31 मार्च अंतिम तिथि दी गयी है, उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री राजाराम सिंह: महोदय, सरकार बचाव कर रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-138।

श्री राम लखण राम "रमण" (मंत्री): महोदय, खंड (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड (2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

खंड (3) मंत्रिमंडल निगरानी विभाग में आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं। इसके निस्पादन होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी । अत: तत्काल विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चन्द्र मोहन राय: अध्यक्ष महोदय, खंड (2) के उत्तर में इन्होंने कहा कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय से कि आंशिक रूप से क्या स्वीकारात्मक है और क्या आपने स्वीकार किया है, इसे सदन के सामने पहले आप स्पष्ट करें ?

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूँ। खंड (2) जो सामने रखा गया है, वह निगरानी विभाग से संबंधित है और निगरानी विभाग माननीय मुख्यमंत्री के विभाग के अधीन है न कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत । इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो पायेंगे कि क्या मंत्री, मानव संसाधन विभाग इसका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं क्या ?

अध्यक्ष: जितनी जानकारी है उतने तक का दें ।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा: महोदय, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी [illegible] बनती है।

अध्यक्ष: वे सब समझते हैं, पुराने मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनको नहीं जानकारी है क्या, जो आप जानकारी दे रहे हैं।